[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, तारीख दिसंबर 16, 2016

**अधिसूचना**

का. आ. 4061(अ) केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 199ख का खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, निम्नलिखित स्कीम अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.** – (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 है ।

(2) यह 17 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 2017 तक विधिमान्य रहेगी ।

(3) यह स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना, 2016 के अधीन प्रत्येक घोषणाकर्ता को लागू होगी ।

2. **जमा के लिए पात्रता**.– इस स्कीम के अधीन जमा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना, 2016 की धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन अप्रकटित आय की घोषणा करना चाहता है।

3. **जमा के रूप**.– (1) जमा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए बांड्स लैजर खाते में घोषणाकर्ता के प्रत्यय पर धारित किया जाएगा ।

(2) घोषणाकर्ता को **प्ररूप 1** में एक धारण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के अधीन प्राप्त जमा को भारत सरकार के लोक लेखा में अभिहित आरक्षित निधि में अंतरित करेगा ।

4. **बांड्स लैजर खाते में अभिदाय और विनिधान की पद्धति**.– (1) जमा को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी प्राधिकृत बैंकों में स्वीकार किया जाएगा ।

(2) जमा को एक सौ रुपए के गुणज में किया जाएगा ।

(3) किसी घोषणाकर्ता द्वारा किया जाने वाला जमा, अधिनियम की धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषित की जानी वाली अप्रकटित आय के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

(4) इस स्कीम के अधीन धारा 199च की उपधारा (1) के अधीन किया जाने वाला सम्पूर्ण जमा, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा फाइल करने से पूर्व एकल संदाय में किया जाएगा ।

(5) जमा नकद या ड्राफ्ट या चैक या इलैक्ट्रोनिक अंतरण द्वारा किया जाएगा और उसे जमा स्वीकार करने वाले प्राधिकृत बैंक के पक्ष में आहरित किया जाएगा ।

5. **जमा की प्रभावी तारीख**.– बांड्स लेजर खाते को खोलने की प्रभावी तारीख, नकद को देने की या ड्राफ्ट या चैक की वसूली या इलैक्ट्रानिक रूप से अंतरण के माध्यम से प्राप्त अंतरण की तारीख होगी ।

6. **आवेदन**.–(1) इस स्कीम के अधीन जमा के लिए आवेदन **प्ररूप 2** में किए जाएंगे, जिनमें स्पष्ट रूप से रकम, घोषणाकर्ता का पूरा नाम, स्थायी खाता संख्यांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पैन" कहा गया है), बैंक खाते के ब्यौरे (मोचन आगमों को प्राप्त करने के लिए) और उसका पता स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा:

परंतु यदि घोषणाकर्ता के पास पैन नहीं है, तो वह पैन के लिए आवेदन करेगा और ऐसे पैन आवेदन के, उसकी अभिस्वीकृति संख्या के साथ ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन किए गए आवेदन के साथ पैरा 4 के उपपैरा (3) और उपपैरा (4) के अधीन यथाउपबंधित नकद या ड्राफ्ट या चैक के रूप में या इलैक्ट्रानिक अंतरण के माध्यम से घोषित की जानी वाली अप्रकटित आय के पचीस प्रतिशत से अन्यून रकम होगी ।

7. **प्राधिकृत बैंक**.–(1) बांड्स लैजर खाते के रूप में जमा के लिए आवेदनों को किसी ऐसी बैंककारी कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है ।

(2) प्राधिकृत बैंक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को आगामी कार्यदिवस से अपश्चात् **प्ररूप 5** में जमा के ब्यौरे इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा ताकि विभाग घोषणा को स्वीकार करने से पूर्व जमा की सूचना का सत्यापन करने में समर्थ हो सके ।

(3) प्राधिकृत बैंक जमा के ब्यौरों को भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन 'ई-कुबेर' पर अपलोड करेगा ।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक और प्राधिकृत बैंक इस संबंध में प्राप्त डाटा की गोपनीयता को बनाए रखेंगे ।

8. **नामनिर्देशन**.–(1) किसी बांड्स लैजर खाते का एकमात्र धारक या कोई एकमात्र उत्तरजीवी धारक, जो कोई व्यष्टि है, **प्ररूप 3** में एक या अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन कर सकेगा, जो उसकी मृत्यु की दशा में बांड्स लैजर खाते और उस पर संदाय के लिए हकदार होंगे ।

(2) जहां कोई रकम दो या अधिक नामनिर्देशितियों को संदेय है और ऐसे संदाय के शोध्य होने से पूर्व उनमें से किसी एक या अन्य की मृत्यु हो जाती है तो बांड्स लैजर खाते का हक उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों में निहित हो जाएगा और उस पर शोध्य होने वाली रकम का तदनुसार संदाय किया जाएगा । नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों की मृत्यु, धारक से पूर्व हो जाने की दशा में धारक नया नामनिर्देशन कर सकेगा ।

(3) बांड्स लैजर खाते के किसी धारक द्वारा किए गए किसी नामनिर्देशन को नए नामनिर्देशन द्वारा अंतरित किया जा सकेगा या उसे **प्ररूप 4** में प्राधिकृत बैंक को लिखित में सूचना देकर रद्द किया जा सकेगा ।

(4) प्रत्येक नामनिर्देशन और प्रत्येक रद्दकरण या अंतरण को भारतीय रिजर्व बैंक में प्राधिकृत बैंक के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और वह ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(5) यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है तो बांड्स लैजर खाते का धारक अपनी मृत्यु की दशा में बांड्स लैजर खाते या शोध्य रकम को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

9. **अंतरणीयता**.–बांड्स लैजर खाते की अंतरणीयता, व्यष्टि धारक की मृत्यु की दशा में उसके नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारियों तक सीमित होगी ।

10. **ब्याज**.–धारा 199च की उपधारा (1) के अधीन किए गए जमा पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ।

11. **बांड के प्रति व्यापार योग्यता**.–बांड्स लैजर खाता व्यापार योग्य नहीं होगा ।

12. **प्रतिसंदाय**.–बांड्स लैजर खाता, जमा करने की तारीख से चार वर्षों के अवसान पर प्रतिसंदेय होगा और परिपक्वता तारीख से पूर्व ऐसे बांड्स लैजर खाते के मोचन की अनुमति नहीं होगी ।

13. **निर्वचन**.–इस अधिसूचना में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं किंतु आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका उन अधिनियमों में है ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

(प्रशांत गोयल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[फा. सं. 3(1)-डब्ल्यू एंड एम/2016]
नई दिल्ली
दिनांक: 16 दिसम्बर, 2016

**प्ररूप 1**

[पैरा 3(2) देखिए]

**भारत सरकार**

धृति प्रमाणपत्र

**प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016**

प्रमाणित किया जाता है कि ................................ (अभिदाता का नाम) (निवेशक पहचान) नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बांड लेजर खाता का धारक है ।

| **प्रमाणपत्र पहचान** | **रकम** | **जमा करने की तारीख** | **परिपक्वता की तारीख** | **नामनिर्देशिती** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

पुन: संदाय खाते के ब्यौरे

खाता सं0 :

आई.एफ.एस.सी. :

खाते का नाम :

यह भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ........................................ तारीख ............ में अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है ।

कम्प्यूटर सृजित – हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

**प्ररूप II**

**[पैरा 6(1) देखिए]**

**प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 के लिए आवेदन प्ररूप**

आवेदन सं0 ............

बैंक : ............................................................ शाखा : ...................................

आवेदक (आवेदकों) का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

| **नाम** | **जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष)** | **लिंग** | **पैन** |
|---|---|---|---|
| | | | |

**संपर्क के लिए आवेदक का पता :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | शहर : | राज्य : | पिन कोड : |
| टेलीफोन न0 | ई-मेल : | मोबाइल न0: | |

जमा की गई रकम : ................. रुपए (....................................... रुपए केवल)

अभिदाय का ढंग : [ ] नकद [ ] चैक/डिमांड ड्राफ्ट [ ] इलैक्ट्रानिक अंतरण

चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं0 ....................... तारीख ......../........./..........., ..................... रुपए (रकम) ......................... (...................................................... रुपए केवल) के लिए, .................................. (बैंक/शाखा) पर आहरित ।

**बैंक के ब्यौरे** (मोचन संदाय के लिए) : **बैंक का नाम** ....................................

**शाखा** ...................................

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **खाता संख्या** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **आई.एफ.एस.सी.** | | | | | | | | | | | | | | | |

**नामनिर्देशिती के विशिष्टियां**

| **क्रम सं.** | **नामनिर्देशिती का पूरा नाम और पता** | **जन्म की तारीख** | **बांड लेजर खाता धारक से संबंध** |
|---|---|---|---|
| | | | |

**टिप्पण :** अतिरिक्त जानकारी बैंक/शाखा के पास उपलब्ध संबंधित प्ररूप में प्रस्तुत की जा सकेगी ।

मैंने स्कीम के ब्यौरों तथा घोषणाकर्ताओं के लिए उपलब्ध अन्य सूचना, जिसके अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य हैं, को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है ।

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान (आवेदक)

तारीख : ...................

स्थान : ..........................

**साक्षी** : (केवल अंगूठे के निशान की दशा में दो साक्षियों द्वारा उसे सत्यापित किया जाना है ।)

पहले साक्षी का नाम : ........................... दूसरे साक्षी का नाम : ...........................

पता : ................................................ पता : ................................................

हस्ताक्षर : ........................................ हस्ताक्षर : ........................................

**घोषणाकर्ता के लिए अभिस्वीकृति रसीद**

आवेदन सं0 ............

तारीख : ......../....../...........

श्री/श्रीमती/सुश्री ........................................................ से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम 2016 के अधीन चार वर्ष की कालावधि के लिए ..................... रुपए (.................... रुपए केवल) के अभिहित मूल्य की स्वीकृति, ..................... रुपए (.................... रुपए केवल) के लिए नकद/डिमांड ड्राफ्ट/चैक सं0/इलैक्ट्रानिकी अंतरण .............................. तारीख : ......../....../........, जो ................................ (बैंक/शाखा) पर आहरित है, प्राप्त किया ।

**बैंक के प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर, तारीख एवं बैंक की मोहर**

**प्ररूप III**

**[पैरा 8(1) देखें]**

**नामनिर्देशन**

मैं, ............................................... (नाम और पता), जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 के अधीन जमा के लिए बांड लेजर खाता संख्या ............... का धारक हूं, निम्नलिखित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करता हूं, जिन्हें मेरी मृत्यु पर बांड लेजर खाता (संख्या) के प्रति अधिकार होगा और बांड लेजर खाता में नीचे विनिर्दिष्ट तत्समय शोध्य रकम के संदाय को प्राप्त करने का अधिकार होगा :

**नामनिर्देशिती की विशिष्टियां :**

| जारी करने की तारीख | रकम (रुपए में) | पुन:संदाय की तारीख | नामनिर्देशिती का विस्तारित अद्याक्षरों सहित पूरा नाम और पता | अवयस्क की दशा में जन्म की तारीख | बांड लेजर खाता धारक के साथ संबंध | बैंक खाते की विशिष्टियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में भरा जाएगा :** चूंकि पूर्वोक्त एक मात्र नामनिर्देशिती इस तारीख को अवयस्क है, मैं, श्री/श्रीमती/कुमार ........................................................................... को पूर्वोक्त बांड लेजर खाता में तत्समय शोध्य रकम को उक्त नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान, मेरी मृत्यु की दशा में प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं ।

**यदि नामनिर्देशन पहले से ही किए गए नामनिर्देशन को प्रतिस्थापित करने के लिए है :** यह नामनिर्देशन मेरे/हमारे द्वारा .......................... तारीख को किए गए और .......................... को आपकी बहियों में रजिस्ट्रीकृत नामनिर्देशन को, जो इस नामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण पर रद्द हो जाएगा, प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

(बांड लेजर खाता धारक के हस्ताक्षर)

स्थान : ..............................

तारीख : ..............................

**साक्षियों के नाम और पते सहित हस्ताक्षर :**

1. ..............................
2. ..............................

---

**अभिस्वीकृति**

हम, ................................................ (नाम निर्देशितियों का नाम) के पक्ष में ........................... ऋण के लिए बांड लेजर खाता संख्या को रजिस्ट्रीकृत करने की अभिस्वीकृत देते हैं और नामनिर्देशिती रजिस्ट्रीकरण संख्या ........................... है । कृपया पूर्वोक्त नामनिर्देशन रजिस्ट्रीकरण संख्या को नामनिर्देशन में परिवर्तन या रद्द करने के लिए सभी पत्राचार में उद्धृत करें ।

तारीख : .............................. प्राधिकृत पदधारी : ..............................

**प्ररूप 4**
**[पैरा 8(3) देखिए]**

**नामनिर्देशन का रद्दकरण**

**मैं, ............................................................ (नाम और पता), तारीख ...................... को, मेरे द्‌वारा निम्नलिखित बांड लेजर खाता संख्या .......................... और जो भारतीय रिजर्व बैंक द्‌वारा रजिस्ट्रीकरण संख्या .................... तारीख ...................... द्‌वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है, के संबंध में किए गए नामनिर्देशन को रद्द करता हूं ।**

**बांड लेजर खाता की विशिष्टियां**

| जारी करने की तारीख | जमा की नामपद्धति | बॉड लेजर खाता | रकम (रुपए) |
|---|---|---|---|
| | | | |

नाम : ..............................    (बांड लेजर खाता धारक के हस्ताक्षर)

तारीख : ..............................

**साक्षियों के नाम और पते सहित हस्ताक्षर :**

1. ..............................

2. ..............................

---

**अभिस्वीकृति**

हम, .................................................. (नामनिर्देशितियों का नाम) के पक्ष में जमा ............. ............. बांड लेजर खाता संख्या, जिसे नामनिर्देशन रजिस्ट्रीकरण संख्या .................. तारीख ............. द्‌वारा नोट किया गया है, को रद्द करने की अभिस्वीकृत देते हैं ।

तारीख : ..............................    प्राधिकृत पदधारी : ..............................

**प्ररूप 5**

**[पैरा 7(2) देखें]**

**प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम (पी.एम.जी.के.डी.एस.), 2016 के अधीन रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप**

1. रिपोर्ट करने वाले बैंक का नाम : ....................................................

2. शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड: ....................................................

3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 के अधीन किए गए जमा के ब्यौरे :

| क्रम सं0 | जमा करने वाले का नाम और पता | स्थायी खाता संख्यांक/ पैन आवेदन की निदेश सं0 (यदि पैन के लिए आवेदन किया है) | जमा की गई रकम (रुपए में) | जमा की तारीख | अभिस्वीकृति/ जमा निर्देश संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |